संख्या-23/1996/53-14-2(24)/13

प्रेषक,

कृष्ण कान्त शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक- 17 नवम्बर, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को (प्रोत्साहन) गोकुल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-236/दुग्ध-8/नियो0/गोकुल पुरस्कार (19)/2014-15, दिनांक-30.09.2014 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त अधिकतम दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उददेश्य से 'गोकुल पुरस्कार' से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। अतएव प्रदेश के 73 जनपदों के अन्तर्गत स्थापित दुग्ध संघों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले एक-एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो और समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को दूध का विक्रय कर रहा हो, रू0 22000/- (रू0 बाइस हजार मात्र) का नगद पुरस्कार एवं भगवान श्रीकृष्ण की निर्मित मूर्ति अंकित होगी। अत: श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजना के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू027.25 लाख (रू0 सत्ताइस लाख पच्चीस हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति निम्नलिखित मदों में प्रदान करते हैं:-

(1)	71 जनपदों/दुग्ध संघों के प्रति जनपद 22000-रूपये की दर से नकद गोकुल पुरस्कार हेतु अपेक्षित धनराशि	रू0 15.62 लाख
(2)	74 जनपदों/दुग्ध संघों को सर्वाधिक दुग्ध देने वाले एक-एक दुग्ध उत्पादक विजेता को दी जाने वाली शील्ड तथा अन्य पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि	रू0 09.38 लाख
(2)	प्रदेश स्तर पर दुग्ध संघों को सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले प्रथम 03 दुग्ध उत्पादको को प्रथम पुरस्कार की धनराशि रू0 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रू0 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार रू0 0.50 लाख नकद पुरस्कार हेतु	रू0 02.25 लाख
	कुल योग	**रू0 27.25 लाख**

2- उर्पयुक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-गोकुल पुरस्कार का वितरण-42 अन्य व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

http://dhasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के **पत्र संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014** के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या-1996(1)/53-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।

5- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।

8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

9- गार्ड फाइल।

10- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in